न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 61/2014

1. परमेश्वरलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बछरारा तहसील रतनगढ़ जिला चुरू आबाद चक 1 केजेडी खाजूवाला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. बिरमाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील रतनगढ़
2. भूराराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील रतनगढ़
3. राजूकी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील रतनगढ़
4. उप–पंजीयक खाजूवाला
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए आर.टी. एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 21.11.22

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 188, 92 ए आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पिता व प्रतिवादी सं0 3 के ससुर शेराराम पुत्र मानाराम से उसका विधिवत आवंटित रकबा वाके चक 1 केजेडी का मु0नं0 100/37 के किला नं0 1, 2 मे 13 बिस्वा, 8 में 1 बिस्वा, 9, 12, 13 में 8 बिस्वा, 23, 24 में 5 बिस्वा कुल 6.03 बीघा कमाण्ड भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 17.09.1984 को बएवज रूपये 7,000/– अखरे सात हजार रूपये में सौदा बैय का कर सौदा की तमाम राशि 7,000/– अखरे चार लाख रू. प्रतिवादी नं0 1 ने नगदी प्राप्त कर लिये थे तथा बकाया लेना कुछ भी नहीं रहा था तथा उक्त भूमि का बैयनामा वादी के पक्ष में वादी की इच्छानुसार कराने का करार किया था। वादी ने उक्त रकबा की बकाया समस्त किश्तें अदा कर खातेदारी सनद प्राप्त की तथा इकरारनामा की दिनांक को ही वादगत भूमि का वादी को कब्जा करवा दिया गया था जिसपर आज तक वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है व ढ़ाणी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। वादी ने उक्त रकबा के आवश्यक कागजात प्राप्त कर प्रतिवादी सं0 1 ता 3 से उक्त रकबा का मुताबिक इकरारनामा के उक्त रकबा बैयनामा अपने नाम से तस्दीक करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपने घरेलू मजबूरी बताते हुए व कुछ दिन रुकने को कहा तो वादी ने प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के कहे अनुसार कुछ दिन और इन्तजार करता रहा। दिनांक 25.5.24 को प्रतिवादी सं0 1 ता 3 बैयनामा करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। वादी ने निवेदन किया है कि चिरस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वादी की खरीदशुदा कृषि भूमि वाके चक 1 केजेडी का मु0नं0 100/37 के किला नं0 1, 2 में 13 बिस्वा, 8 में 1 बिस्वा, 9, 12, 13 में 8 बिस्वा, 18 में 8 बिस्वा, 23, 24 में 5 बिस्वा की कुल 6.03 बीघा कमाण्ड भूमि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी को प्रतिवादी द्वारा बेदख लना किया जावें व भूमि को आगे विक्रय करने से स्थाई बाज ममुन रहे।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस भिजवाने हाजिर नहीं आये इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही की गई। साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पिता व प्रतिवादी सं0 3 के ससुर शेराराम पुत्र मानाराम से उसका विधिवत आवंटित रकबा वाके चक 1 केजेडी का मु0नं0 100/37 के किला नं0 1, 2 मे 13 बिस्वा, 8 में 1 बिस्वा, 9, 12, 13 में 8 बिस्वा, 23, 24 में 5 बिस्वा कुल 6.03 बीघा कमाण्ड भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 17.09.1984 को बएवज रूपये 7,000/– अखरे सात हजार रूपये के आधार पर अनुतोष प्राप्त करना चाहते है। इकरारनामा के आधार पर वादीग को कोई भी अनुतोष इस न्यायालय से नहीं दिया जा सकता है। अतः वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है। वादी इकरारनामा के आधार पर सक्षम न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)